न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना (कोर्ट कैम्प–बिंचावा)

पीठासीन अधिकारीः– श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः **96/2020** दायर दिनाँक **13.03.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. अमरचन्द पुत्र रामपाल जाति बावरी निवासी बिंचावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर। 2. सूलतानसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी बिंचावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

सत्यमेव जयते

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

उपस्थितः–

1. श्री ओमप्रकाश पुनियां वकील वादी

दिनाँक **03.12.2021**

–:: <u>निर्णय</u> ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है यह है कि मौजा बिंचावा की शहरद के खेत खसरा सं0 16 रकबा 06 बीघा 15 बिस्वा, स्थित है तथा प्रतिवादी संख्या 02 के मौजा बिंचावा की शहरद के खेत खसरा सं0 15 रकबा 18 बीघा 05 बिस्वा तथा खसरा सं0 811/15 रकबा 16 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्थित है।

यह है कि मौजा बिंचावा की शहरद के खेत खसरा सं0 15 रकबा 19 बीघा 01 बिस्वा मे से खसरा सं0 811/15 रकबा 16 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता न्यायालय श्रीमान के आदेश से बने है। उक्त आदेश से नये खसरा सं0 811/15 रकबा 16 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता बना है जिसको पटवारी हल्का ने गांव के कुछ लोगो के बहकावे में आकर न्यायालय आदेशानुसार मौके पर पीढियों से बहने वाले रास्ते को राजस्व रेकर्ड के नक्शे में तरमीम नही करके वादी के नजरी नक्शे में मार्क ए.बी. रास्ता को तरमीम किया है जो गलत व निराधार है। उक्त रास्ता मौके पर न तो बहता है न ही चालू हालात में है। जबकि मौके पर रास्ता वादी द्वारा पेश नजरी नक्शा में मार्क सी. से बी. रास्ता मौके पर चालू हालात में बहता है जो पीढियों से बहता है और गांव के लोगो के व वादी के उपयोग व उपभोग के काम आता है, जो रास्ता पीढियों से बहता है और गांव के लोगो के व वादी के उपयोग व उपभोग में आता रहा है।

यह है कि वादी द्वारा पेश नजरी नक्शा में मार्क सी. बी. रास्ता ही चालू हालात में है और लोगो का आवागमन के लिए पीढियों से काम आता रहा है और लोगो का आवागमन के लिए पीढियों से काम आता रहा है। उक्त रास्ता पहले कटाणी रास्ता नही था मगर वादी द्वारा पेश नजरी नक्शा में मार्क सी. बी. रास्ता मौके पर चालू हालात में बहता था, जिसके नये खसरा सं0 811/15 रकबा 16 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता [illegible] मगर पटवारी द्वारा न्यायालय के आदेश की गलत धारणा कर चन्द लोगो के बहकावें में आकर वादी के नजरी नक्शे में मार्क ए. बी. रास्ता को [illegible] नक्शा में तरमीम किया है। जो वादी के जायज अधिकारों के लिए [illegible] बन गया है और वादी के जायज अधिकार खतरे में पड़ गये है। इसलिए वादी के नजरी नक्शे में मार्क ए.बी. रास्ता के बजाय मार्क सी.बी. रास्ता की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का दावा पेश करना लाजमी हुआ है। दावा घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:09:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व लोक अदालतः प्रशासन गांवों के संग, कोर्ट कैम्प–बिंचावा में प्रकरण पेश हुआ। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 5005 दिनांक 16.10. 2020 के अनुसार मार्क ए. से बी. की तरफ कोई रास्ता के निशानात नही है। जबकी की वर्तमान में रास्ता ख.स0 15 में ए. से सी. की और चल रहा है।

वकील वादी को सुना गया। रेकर्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 5005 दिनांक 16.10.2020 की रिपोर्ट के अनुसार उपरोक्त रास्ता मार्क ए. से बी. को हटाकर वर्तमान में चल रहा रास्ता ए. से सी. को राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद बिंचावा में तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 5005 दिनांक 16.10.2020 के अनुसार खसरा नम्बर 15 व 811/15 के मौके निरीक्षण के अनुसार मौके पर ए. से बी. कोई रास्ता नही होने से उक्त मार्क ए. से बी. को राजस्व रेकर्ड से हटाकर वर्तमान में चल रहे रास्ते मार्क ए. से सी. को कटाणी रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बिंचावा

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **03.12..2021** कोर्ट कैम्प–बिंचावा में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलेक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बिंचावा

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:09:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना कोर्ट केम्प बिंचावा
बइजलास : **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **96/2020** दायर दिनाँक **13.03.2020**

वादी		प्रतिवादीगण
1. अमरचन्द पुत्र रामपाल जाति बावरी निवासी बिंचावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	**बनाम्**	1. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर। 2. सूलतानसिंह पुत्र किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी बिंचावा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

दावा बाबत्
रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 136 L.R. Act.

दिनाँक **03.12.2021**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री ओमप्रकाश पुनियां वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा डिक्री कर वाके सरहद बिंचावा में तहसीलदार डीडवाना के पत्रांक 5005 दिनांक 16.10.2020 के अनुसार खसरा नम्बर 15 व 811/15 के मौके निरीक्षण के अनुसार मौके पर ए. से बी. कोई रास्ता नही होने से उक्त मार्क ए. से बी. को राजस्व रेकर्ड से हटाकर वर्तमान में चल रहे रास्ते मार्क ए. से सी. को कटाणी रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकर्ड में दुरूस्त किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–.............. बाबत.....................–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख **03.12.2021** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बिंचावा
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीक का ... डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.01.24 14:09:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प–बिंचावा
सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner